न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/04/2021	2021/35	04–03–2021	07–04–2021

1– महावीर गिरी महाराज पुत्र श्री रमागिरीजी जाति वैरागी निवासी बीड़ का स्थान भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0। **–प्रार्थी**

बनाम

1– किशनलाल पुत्र गोकुल
2– कैलाश पुत्र गोकुल
3– कमलेश पुत्र गोकुल
4– जगदीश पुत्र गोकुल मीणा जाति मीणा
5– पप्पू पुत्र स्व0 गोकुल मीणा जाति मीणा निवासीयान् ग्राम भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0। **–असल अप्रार्थीगण**
6– गोविन्दराम पुत्र नानगाराम
7– जगदीश पुत्र नानगाराम
8– ब्रह्मानन्द पुत्र नानगाराम
9– भगवान सहाय पुत्र नानगाराम
10– रामसहाय पुत्र बृजलाल
11– वृन्दावन पुत्र नानगाराम
12– शांति पत्नी स्व0 नानगराम जाति समस्त महाजन निवासीयान ग्राम भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
13– तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0। **–तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री अमरचन्द्र चौधरी –वकील प्रार्थी
02. श्री मुकेश शर्मा –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी किशनलाल वगै0 बनाम महावीर गिरी वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन एक प्रा0पत्र राज0 अभिधृति अधि0 1955 की धारा 251क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा हेतू वाद बअनुवानी किशनलाल वगै0 बनाम महावीर गिरी वगै0 दायर किया हुआ है। आराजी खसरा नम्बर हाल 825/0.79 है0, 826/0.57 है0 कुल किता 2 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम भण्डोडी तहसील मालाखेड़ा मिन वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्श है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी में मिन वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा करते है तथा जबरन मिन वादी को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। जिसके लिए उक्त वाद पेश किया गया है। अप्रार्थी जगदीश प्रभावशाली व्यक्ति है तथा वर्तमान में वह सरपंच है जिसने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है तथा अप्रार्थी जगदीश ने एलानिया कहा है कि उसने पीठासीन अधिकारी से बातचीत कर ली है और आगामी पेशी पर वादी का वाद खारिज करा देगा। मिन वादी ने अप्रार्थी जगदीश को कई बाद चैम्बर में आते जाते देखा है तथा गत तारीख पेशी पर पीठासीन अधिकारी ने जाहिर किया कि वादी संधू संत है उसका आराजी से क्या लेना देना है और यह भी जाहिर किया कि अप्रार्थीगण को प्रा0पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी में रास्ता कायम किया जावेगा। मिन प्रार्थी वादी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। और पीठासीन अधिकारी पूरी तरह प्रतिवादीगण के प्रभाव में है। जिससे न्यायहित में उक्त वाद पत्रावली सुनवाई हेतु किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्याय संगत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद बअनुवानी किशनलाल वगै0 बनाम महावीर गिरी वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप मनगढंत रूप से दर्ज किये गये है। प्रार्थना–पत्र महज वाद में देरी करने की गर्ज से पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के बाबत किसी भी साक्ष्यी का शपथ–पत्र पृथक से पेश नहीं किया गया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 825/0.79 है0, 826/0.57 है0 कुल किता 2 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम भण्डोडी –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

तहसील मालाखेड़ा बाबत एक वाद राज0 अभिघृति अधि0 1955 की धारा 251क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा हेतू पेश किया गया था जो विचाराधीन न्यायालय है। प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित कथन मात्र काल्पनिक है। मनगढंत है। राज0 अभिघृति अधि0 1955 की धारा 251क की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 02.12.2020 को दायर किया गया था प्रकरण समरी ट्रायल का होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की गई साथ ही तहसीलदार मालाखेड़ा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आदेश पूर्व मुंतकिल प्रा0पत्र पेश हो जाने के कारण आदिनांक तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा भी अपनी बहस में कोई स्पष्ट कथन पेश नहीं किया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल प्रथमदृष्ट्या न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विद्वान अभिभाषको की बहस के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा में विचाराधीन वाद बअनुवानी किशनलाल वगै0 बनाम महावीर गिरी वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07–04–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/04/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)